<u>उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ</u>

<u>न्यायालय सं0–5</u>

उपस्थित–माननीया श्रीमती अनिता राज, सदस्य (न्यायिक)

<u>याचिका सं0 1461/2017</u>

मंजूर अहमद, उम्र लगभग 58 वर्ष, पुत्र मो0 याकूब, निवासी ग्राम पोस्ट-शाहबपुर, परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद–बाराबंकी।

.....याची

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन,
   सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. आयुक्त,
   फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

3. जिलाधिकारी
   जनपद-बाराबंकी।

. . . .विपक्षीगण

याची के विद्वान अधिवक्ता फारूक अहमद अवस्थी, उपस्थित।
उपस्थित वास्ते विपक्षीगण विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी।

<u>निर्णय</u>

(मा0 श्रीमती अनिता राज, सदस्य, न्यायिक द्वारा श्रुतलेखित)

याची द्वारा प्रस्तुत निर्देश याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा-4 के अंतर्गत विपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 18.03.2013, (संलग्नक–1) आदेश दिनांक 10.08.2016 एवं विपक्षी सं0-2 द्वारा पारित प्रत्यावेदन/अपीलीय आदेश दिनांकित 13.02.2017 (संलग्नक–2) को निरस्त करते हुए समस्त पारिणामिक सेवालाभ व एरियर, वादव्यय मय द्वितीय एसीपी दिनांक 25.01.2023 से दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. संक्षिप्त में याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि याची की नियुक्ति 25.01.1995 से उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ सहायक के पद पर विपक्षी संख्या-3 द्वारा की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांकित 21.02.2007 उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ सहायक के पद को उर्दू अनुवादक/वरिष्ठ सहायक का वेतन मान 4000-6000, 12 वर्ष की संतोषजनक सेवाओं पर प्रदान किये जाने हेतु निर्गत किया गया है। तदुपरान्त शासन का आदेश दिनांक 04.08.2014 (संलग्नक-6) द्वारा उक्त उच्चीकरण को 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर प्रथम प्रोन्नत वेतन मान माना जायेगा। विपक्षी संख्या-3 द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में उर्दू अनुवादक/वरिष्ठ सहायक सलाउद्दीन महमूद, कौशर हुसैन खान आदि को 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर द्वितीय एसीपी वेतन मान 9300-34800, ग्रेड पे 4200 स्वीकार किया गया। याची को दिनांक 12.10.2012 को झूठे आरोप लगाते हुए आरोप पत्र प्राप्त कराया गया, इस आरोप पत्र का जवाब दिनांकित 25.10.2012 सक्षम अधिकारी के समक्ष याची द्वारा प्रस्तुत किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच किये जाने हेतु न तो समय स्थान व तिथि निर्धारित की गयी और न ही विभागीय गवाहों से जिरह करने हेतु याची को अपनी प्रतिरक्षा में याची को अनुमति प्रदान की गयी। याची द्वारा विपक्षी संख्या-3 के समक्ष बिना कोई मौखिक जाँच के सीधे जाँच आख्या प्रस्तुत कर दी गयी, जो बिना मौखिक जाँच न होने के कारण नियमानुसार दूषित है। विपक्षी संख्या-3 द्वारा मय जाँच आख्या दिनांकित 20.12.2012 स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांकित 22.12.2012 निर्गत की गयी। याची द्वारा अपना जवाब दिनांक 02.01.02013 को याची लगाये गये आरोपों को इंकार करते हुए प्रस्तुत किया गया और यह कहा गया कि उसे मौखिक सुनवायी का मौका उ0प्र0 सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अन्तर्गत प्रदान नहीं किया गया तदुपरान्त विपक्षी संख्या-3 द्वारा याची के विरूद्ध परिनिन्दा का दण्ड दिनांक 18.03.2013 पारित किया गया इस दंडादेश के विरूद्ध एक प्रत्यावेदन दिनांकित 05.07.2013 एवं 20.05.2016 पर विचार करने हेतु विपक्षी संख्य-3 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे विपक्षी द्वारा दिनांक 10.08.2016 द्वारा इस आधार पर उसे निरस्त कर दिया गया कि उक्त प्रत्यावेदन उच्चप्राधिकारी अर्थात विपक्षी संख्या-2 के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। तदोपरान्त याची द्वारा दिनांक 09.11.2016 को एक

प्रत्यावेदन/अपील विस्तृत तथ्यों को वर्णित करते हुए विपक्षी संख्या 2 के समक्ष उक्त आलोच्य आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या-2 द्वारा याची द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रत्यावेदनों पर बिना विचार किये परिसीमा के बिन्दु पर एवं विधि विरूद्ध मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया गया।

3. याची द्वारा कथन किया गया है कि जाँच अधिकारी द्वारा न तो मौखिक जाँच हेतु समय, तिथि व स्थान एवं विभागीय गवाहों के कथनों को अभिलिखित एवं न ही उनसे प्रतिपरीक्षा व अपनी प्रतिरक्षा हेतु उसे अनुमति प्रदान की गयी इस प्रकार अनुशासनिक अधिकारी द्वारा व मनमानी व विधि विरूद्ध तरीके से कार्यवाही की गयी। याची द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यदि वृहद दंड से आरोपित चार्जसीट उसे प्राप्त करायी गयी है, तो नियमित जाँच द्वारा लघु दंड अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार आलोच्य दंडादेश पूर्णतया विधि विरूद्ध अनौचित्य, मनमानी एवं नैसर्गिक न्याय से सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है, जो खारिज किया जाने योग्य है।

4. विपक्षीगण द्वारा लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र दिनांकित 07.12.2017 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त प्रकारण में याची के राजस्व अभिलेखागार में कार्य के दौरान ग्राम मोहाल सैमसी परगना मवई की 1332 फ के खतौनी की जिल्द से नकल जारी करते समय उसके पन्नों के सुरक्षित होने के संबंध में संतुष्ट कर लेना चाहिए। किसी प्रतिकूल भी तथ्य को संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के संज्ञान में याची द्वारा नहीं लाया गया। इस संबंध में याची के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी जिसमें गुणदोष के आधार पर तत्कालीन अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.2013 को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए विभागीय कार्यवाही निस्तारित की गयी। याची ने पुनः एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2016 को जिलाधिकारी बाराबंकी से समक्ष प्रस्तुत किया, उसका निस्तारण ही दिनांक 10.08.2016 को कर दिया गया, तत्पश्चात याची द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे कालबाधित पाते हुए निरस्त कर दिया गया, जिसे निरस्त किये जाने में किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं है, न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है, याची द्वारा प्रश्नगत याचिका आधारहीन तथ्यहीन व बलहीन होने के साथ ही याचिका कालबाधित होने के कारण मात्र इसी

आधार पर निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। विभागीय कार्यवाही में याची के प्रत्यावेदनों का सक्षम अधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया गया है, तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2013 के अन्तर्गत याची को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी जिसके कारण उसे रू 4200 का ग्रेड पे प्रदान नहीं किया जा सका। याची द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 02.01.2013 को प्रस्तुत किया गया और यह कहा गया है कि अब भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। याची द्वारा प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्यों पर समय विचारोपरान्त प्रत्यावेदन बलहीन व तथ्यहीन पाये जाने के कारण उन्हें निरस्त किया गया, याची द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि नियत आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 25.10.2012 को प्रस्तुत किया गया है लेकिन याची के द्वारा किसी से जिरह अथवा व्यक्तिगत सुनवायी हेतु अवसर की याचना नहीं की गयी। याची के प्रकरण में पारित सभी आदेश पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल हैं, उक्त आदेशों के विरूद्ध याची कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। याची की प्रश्नगत याचिका तथ्यहीन, बलहीन एवं कालबाधित होने के कारण विपक्षीगण द्वारा सव्यय निरस्त किये जाने की याचना नहीं की गयी।

5. उपरोक्त लिखितविवेचन/प्रतिशपथपत्र के विरुद्ध याची द्वारा प्रत्युत्तर शपथपत्र दिनांकित 31.12.2017 प्रस्तुत किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर शपथपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के द्वारा याचिका के अभिकथनों की अधिकांशतः पुनरावृत्ति की गयी है।

6. याचिका के निस्तारण के क्रम में मैंने याची की ओर से अधिकृत विद्वान अधिवक्ता फारूक अहमद एवं विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री वी0के0सिंह के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

7. याची की प्रारंभिक जाँच के विरूद्ध श्री स्वामीनाथ यादव के प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित की गयी थी। जाँच आख्या दिनांकित 28.05.2012 यह उल्लिखित किया गया है कि याची को ग्राम एवं मोहाल सैमसी, परगना मवई की 1332 फसली की जिल्द को क्षति पहुँचाये जाने के संबंध में दोषी पाते हुए विभागयी कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें याची के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वह उर्दू अनुवादक/प्रतिलिपिक राजस्व

अभिलेखागार के पद पर कार्यरत रहते हुए अपने दायित्वों/कर्तव्यों के प्रति सजग न रहकर उपरोक्त उल्लिखित खतौनी की दूसरी बार नकल जारी करते समय जिल्द तथा उसके पन्नों को सुरक्षित होने के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त अथवा किसी प्रतिकूल तथ्य के पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के संज्ञान में उक्त तथ्य को लाना चाहिए। जो उनके द्वारा नहीं किया गया, जिससे याची की संलिप्तता परिलक्षित होती है, जिसके लिए उनको दोषी पाया गया। याची के द्वारा आरोप का उत्तर दिनांक 25.10.2012 को दिया गया। याची के उत्तर के आधार पर जाँच अधिकारी ने उस पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया, जिसके फलस्वरूप याची को कारण बताओ नोटिस 22.12.2012 निर्गत किया गया, जिसका उत्तर दिनांकित 02.01.2013 में दाखिल किया गया। याची के उत्तर व अन्य परिपत्र का अवलोकन करने के उपरान्त आलोच्य अधिकारी ने भर्त्सना किये जाने का आदेश में यह उल्लिखित करते हुए दिया कि जब आर0आर0के0 द्वारा नोट लगाकर नकल जारी करने को कहा गया, तो इस तथ्य से तत्समय याची को प्रभारी अधिकारी और अन्य किसी अधिकारी के संज्ञान में लेना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं लिया गया। ऐसे प्रकरणों में सतर्क दृष्टि न रखने एवं सही सूझबूझ से कार्य न करने का उन्हें दोषी पाया गया।

8. याची की ओर से तर्क दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने के उपरान्त और याची का उत्तर दाखिल किय जाने के बाद, जाँच अधिकारी को गवाह बुलाने चाहिए थे और याची को बचाव का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। याची को यद्यपि लघु दण्ड से दंडित किया गया है, तथापि कार्यवाही वृहद् दंड की अपनायी गयी है, परन्तु आरोप पत्र दाखिल करने व याची का उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त जाँच अधिकारी ने आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई जाँच का समय, स्थान व तिथि निर्धारित नहीं किया, न ही याची को गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया, तथा जाँच अधिकारी के द्वारा जाँच आख्या याची के द्वारा दाखिल जवाब के आधार पर दाखिल की गयी है। अतः जाँच रिपोर्ट उ0प्र0 गवर्नमेंट सेवक सर्विस (डिसिपलीन अपील रूल्स) 1999 के नियम-7 के प्रतिकूल हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित किया गया है कि-

9. **Radhey Kant Khare v. U.P. Co-operative Sugar Factories Federation Ltd., 2003 (21) LCD 610, wherein a Division Bench of Hon'ble High Court while dealing with the procedure to be followed in the enquiry, has laid down the law as follows-**

> **"After a charge sheet is given to the employee an oral enquiry is a must whether the employee request for it or not. Hence a notice should be issued to him indicating him the date, time and place of the enquiry. should first be led in his presence vide A.C., C.Ltd. v. There workmen (1963)11 LLJ 396(SC)."**

10. **Salahuddin Ansari v. State of U.P., (2008) 3 ESC 1667 it was held as under-**

> **"Not holding oral enquiry is a serious flow as it goes to the root of the case and can vitiate the order of disciplinary proceeding including the order of punishment."**

11. **Yog Narain Dubey v. Managing Derector and other, (2012) 29 L.C.D. 2024. It has been held-**

> **"That the enquiry proceeding is vitiated where the enquiry officer submits the report on the basis of reply filed to the charge sheet by the petitioner and by not holding oral enquire by fixing date time and place and proving the document in presence of the petitioner".**

12. **In Krishna Chandra Mani Singh v. State of U.P. and others. 92024) 42 LCD 1755 it was held that-**

> **"Merely providing opportunity of hearing by requiring the petitioner to file reply to charge sheet cannot be assumed to be in consonance of the relevant Rule 7**

of U.P. Govt. Servant (Discipline and Appeal) Rule 1999.

13. **In Kamla Charan Mishra Vs. State of U.P. and others 2009(27) LCD 130 it has been held that -**

"In Disciplinary proceedings, where procedure for major penalty is initiated- Enquiry should be completed by adopting procedure for major penalty, even if minor penalty is awarded."

14. याची उर्दू अनुवादक/प्रतिलिपिक था। और उसके द्वारा खतौनी की जिल्द टूटी हुयी। अन्दर के पन्ने गायब व फटे होने की जानकारी भई आर0आर0के0 को दी गयी थी। जिन्होंने मौखिक रूप से उसे नोट लगाकर छायाप्रति प्रतिलिपि जारी करने का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन याचीक द्वारा किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि याची ने संबंधित कर्मचारी को समय रहते सूचना दी थी और आर0आर0के0 का दायित्व था कि वह प्रकरण के संबंध में प्रभारी अधिकारी अथवा अन्य किसी अधिकारी को सूचित करते। प्रारंभिक जाँच में उन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके तहत याची को आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया है। प्रारंभिक जाँच आख्या से सहमत होकर दंडाधिकारी द्वारा आलोच्य अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच की पुष्टि की है, उनके द्वारा याची के स्पष्टीकरण पर गहनता व सूक्ष्मता से विचार किये बिना कारण रहित और अमुरित आदेश पारित किया है।

15. उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप, समस्त विभागीय कार्यवाही नियम विरूद्ध होने के कारण दूषित है अतः उक्त विभागीय कार्यवाही के आधार पर पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 18.03.2013 तथा प्रत्यावेदन पर पारित आदेश दिनांकित 16.08.2016 एवं दिनांकित 13.02.2017 अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांकित 18.03.2013, (संलग्नक-1), आदेश दिनांकित 10.08.2016 (संलग्नक-2), तथा आदेश दिनांकित 13.02.2017 (संलग्नक-3) अपास्त किये जाते हैं। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि 03 माह के अन्तर्गत उपरोक्त निरस्त आदेश के आधार पर याची को रोके गए समस्त पारिणामिक सेवा लाभ नियमानुसार उसे प्रदान कराया जाये।

उभय पक्ष अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

ह0/
(अनिता राज)
सदस्य (न्या0)

दिनांक 21.08.2026
बी.के.यादव(स्टेनो)